नि | 2912/II/15

303
7-8-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

पुनरीक्षक क्र0–................/2015

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

श्रीमती दया कुमारी तिवारी उर्फ सुषमा तिवारी पत्नी श्री राजगोपाल तिवारी, उम्र 43 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम व पोस्ट गुढ़, तहसील व थाना गुढ, जिला रीवा (म0प्र0), हाल मुकाम ग्राम चौड़ियार, तहसील व थाना गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

———पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

– अश्वनी कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री रामानुज तिवारी, निवासी ग्राम व पोस्ट गुढ़, तहसील व थाना गुढ, जिला रीवा (म0प्र0)

2– म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड के द्वारा आज दिनांक 07-8-15 प्रस्तुत किया गया

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

अ/नि-5(11)0/21

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 उक्त कार्यवाही व आदेश तहसीलदार, तहसील गुढ़, जिला रीवा के प्रकरण क्र0–12अ–3/13–14 अश्वनी कुमार बनाम शासन आदेश दिनांक 22/01/15

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1– अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22/01/15 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

2– भूमि नं0–5 के उपखण्ड क्रमशः 5/1 रकवा 0.040 हे0 यानी 0.10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–2912/दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश दयाकुमारी/अश्वनीकुमार	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण तहसीलदार तहसील गुढ़ के प्र. क. 12/अ–3/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया, कि भूमि कमांक–5 के उपखण्ड कमांक–5/1 आवेदिका की एवं भूमि कमांक–5/2 अनावेदक अश्वनी कुमार की है। उक्त भूमि का पूर्व में नक्शा तरमीम हुआ था, उसी के अनुसार मौके की स्थिति है, किन्तु अनावेदक द्वारा पुनः नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तथा तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम हेतु प्रस्ताव मंगाए जाने के आदेश दिए गये। तहसीलदार के उक्त आदेश के कम में पटवारी द्वारा दिनांक–22.9.14 को नक्शा तरमीम का प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक– 24.9.2014 को तहसीलदार की ओर अग्रेषित किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक–22.1.15 को प्रस्ताव अनुसार नक्शा तरमीम के आदेश दिए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में कहा गया कि उक्त सर्वे कमांकों का नक्शा तरमीम उभयपक्षों की सुनवाई पश्चात मौके की स्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार द्वारा उन्हें बिना सुने ही नक्शा तरमीम कर दिया गया, जबकि नक्शा तरमीम पहले भी हो चुका था, जिसमें सुधार कर या निरस्त कर नये सिरे से नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं थी, ऐसी स्थिति में तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश दिनांक 22.1.2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया, कि सम्मंस में प्र.क .4/अ–5/13–14 लिखा है, जबकि प्रकरण कमांक 12/अ–3/2013–2014 है, ऐसी स्थिति में दिया गया संमंस किसी अन्य प्रकरण का होने के कारण मान्य नहीं है, तथा संमंस के पीछे यह लिखा जाना भी गलत है कि उन्होंने समंस लेने से इंकार किया जिसकी वजह से अदम तामील हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही अनुचित तो है ही, साथ ही अधिकारित विहीन भी है, क्योंकि पुराने नक्शा	

तरमीम को सुधारने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है, वह कलेक्टर को संहिता की धारा 107 के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त वही निवेदन किया गया जो निगरानी मेमों में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न करते हुए उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4– प्रकरण में उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में मेरे द्वारा निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों एवं अन्य अभिलेखों की उपलब्ध प्रतियों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अपने नक्शा तरमीम आदेश दिनांक–22.1.15 में यह अंकित किया गया है कि रास्ता अवरूद्ध होने के कारण राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव अनुसार संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम किया जाना आवश्यक है । साथ ही यह भी अंकित किया कि पूर्व में नक्शा तरमीम पटवारी द्वारा पेन्सिली की गयी थी, तथा बिना सक्षम अधिकारी की पुष्टि के लाल स्याही से भी तरमीम कर दी गयी, एवं पूर्व की नक्शा तरमीम निरस्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव दिनांक–24.9.14 के साथ प्राप्त नजरी नक्शा के अनुसार उक्त दोनों सवेक्षण संख्यांकों का नक्शा तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया गया । चूंकि तहसीलदार द्वारा पूर्व की नक्शा तर्मीम को निरस्त कर नये सिरे से नक्शा तर्मीम का आदेश दिया गया, जो नक्शा सुधार करने की श्रेणी में आता है जिसकी अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है। इस संबंध में (उमेश प्रसाद वि0 लक्ष्मण प्रसाद, 2002 राजस्व निर्णय 126 मे.बो.रे.) में यह प्रतिपादित किया गया है कि नक्शे पर रेखांकन नहीं हुआ किन्तु नक्शे में बटवारा विभाजन के समय नहीं किया, हक पक्ष के पीठ पीछे आवेदक का मकान बगीचा अनावेदक के भाग में दर्शाया गया । यह कार्यवाही पटवारी, राजस्व निरीक्षक के अधिकार के बाहर है वह नहीं कर सकता । राजस्व निरीक्षक को दोनों पक्षों को सुनकर नक्शे में संशोधन की कार्यवाही धारा 107 के अधीन कलेक्टर द्वारा उपांतरित (modified) कराई जाना चाहिए । (शिवम् वि. रा.मं., 2002 रा.नि. 238 हा.को.) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "धारा 107, 116 में कलेक्टर द्वारा तैयार किए जाते हैं तहसीलदार द्वारा शुद्ध नहीं किए जा सकते क्योंकि कलेक्टर तहसीलदार का अधीनस्थ अधिकारी नहीं है।

5– प्रस्तुत तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख तथा उक्त न्यायिक सिद्धांतों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पटवारी अभिलेख में नक्शा तरमीम हुआ है, भले ही वह बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के हो, किन्तु नक्शे में किसी भी प्रकार की त्रृटि का सुधार करने की अधिकारिता संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तहसीलदार को नहीं है, नक्शे में संशोधन एवं सुधार की अधिकारिता संहिता की धारा 107(5) में कलेक्टर को है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पूर्व के नक्शा तरमीम जो उनके द्वारा स्वयं अपने आदेश में स्वीकार की गयी

है, को निरस्त करने में गम्भीर कानूनी भूल की गयी है, जो किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । वहीं यह भी महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकट हो रहा है, कि तहसीलदार एक न्यायिक अधिकारी है जिन्हें संहिता में निहित प्रावधानों का ज्ञान होना एवं उसमें वर्णित कानूनी पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है, जिसका इस प्रकरण में पारित आदेश में अभाव देखा गया है, जिससे यह प्रकट हो रहा है कि या तो तहसीलदार द्वारा जानबूझ कर वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग किया गया है या उन्हें अपने पदीय अधिकारों एवं कानून का ज्ञान नहीं है, जो भी हो दोनों ही स्थितियों में यह अनुचित होकर दण्डनीय है । वहीं यह भी तथ्य विचारणीय है, कि जब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक–22.1.15 में यह अंकित किया गया है, कि पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नक्शे में तरमीम की लाइन डाली गयी है, तब तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी को नामांकित कर उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित क्यों नहीं की गयी, यह भी तहसीलदार की पदीय लापरवाही को दर्शाता है, जबकि तहसीलदार को चाहिए था, कि वे स्वयं भी अधिकारिता विहीन कार्यवाही नहीं करते और अधिकारिता बाह्य कार्यवाही करने वाले पटवारी के विरूद्ध भी कार्यवाही का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करते तथा नक्शा सुधार की कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए था, जो न किया जाकर तहसीलदार द्वारा स्वयं ही सक्षम अधिकारी कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग कर कानून का उल्लंघन किया गया है, जो अनुपयुक्त है ।

6– अतः कलेक्टर रीवा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त अधिकारिता विहीन कार्यवाही करने एवं संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी के अधिकारों का दुरूपयोग करने के लिए संबंधित तहसीलदार श्री एम. एल. जैन, जिन्हें अपने पदीय अधिकारों एवं कानून का ज्ञान नहीं होना इस प्रकरण में परिलक्षित है, के विरूद्ध एवं पटवारी को नांमांकित करते हुए उनके विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, ताकि इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही में विधिक प्रावधानों के दुरूपयोग पर रोक लग सके ।

7– उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम का पारित आदेश दिनांक–22.1.15 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नक्शा तरमीम का प्रस्ताव उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रस्तुत करें । कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को आदेश की प्रति भेजी जावे । कलेक्टर रीवा निर्देशानुसार दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही कर, की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन इस न्यायालय को भेजें । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो ।

सदस्य

10.12.15